प्रारम्भिक डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) मावली, जिला–उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री मोहन सिंह, R.A.S

उनवान

1. श्री पूनमचन्द पिता स्व. मांगीलाल लखारा निवासी ईन्टाली तह. मावली।

..............वादी

बनाम

1. श्री नर्बदाशंकर पिता स्व. मांगीलाल लखारा निवासी ईन्टाली तह. मावली।
2. श्री जमनाशंकर पिता स्व. मांगीलाल लखारा निवासी ईन्टाली तह. मावली।
3. श्री गिरजाशंकर पिता स्व. मांगीलाल लखारा निवासी ईन्टाली तह. मावली।
4. श्रीमती गंगाबाई पत्नी स्व. मांगीलाल लखारा निवासी ईन्टाली तह. मावली।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

......प्रतिवादीगण

दावा बाबत :– 53 रा.का.अधि.

मुकदमा नम्बर : 19/19 वाद

निर्णय दिनांक : 05.08.2019

अधिवक्ता वादी व प्रतिवादीगण की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 05.08.2019 को मोहन सिंह, R.A.S. उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रारम्भिक निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और प्रारम्भिक डिक्री दी जाती है कि – मौजा ईण्टाली पटवार हल्का ईण्टाली तहसील मावली की आराजी नम्बर 6081/2584 किता 1 रकबा 8 बीघा, आराजी नम्बर 5641/1244, 5709/1244, 5710/1244, 5960/1244, 5961/1244 किता 5 रकबा 11 बीघा 3 बिस्वा एवं मौजा भीलाखेडा पटवार हल्का ढुंढिया की आराजी नम्बर 1170, 1171 किता 2 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा एवं मौजा रोयडा पटवार हल्का ढुंढिया की आराजी नम्बर 563/440, 564/426 किता 2 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 428, 430, 432, 441 किता 4 रकबा 6 बीघा 19 बिस्वा भूमि का राजस्व रेकार्ड में अंकित पक्षकारान के मध्य कानूनी रूप से हिस्सेनुसार मिट्स एण्ड बाउण्ड्स अनुसार बंटवाडा प्रस्तावित किया जावें। बंटवाडा प्रस्ताव हेतु तहसीलदार मावली को 500/– रूपया कमिश्नर शुल्क पर बंटवाडा कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता हैं, कि सभी पक्षकारान की उपस्थिति में बंटवाडा प्रस्तावित किया जावें। पक्षकारान के आने जाने हेतु रास्ता भी प्रस्तावित किया जावें। बंटवाडा सूची, लगान सूची, नक्शा ट्रेस दो–दो प्रतियों में पेश किया जावें। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधानों का पूर्ण रूपेण पालन किया जावें।
फिस कमिश्नर वादी मौके पर अदा करें।

यह आज तारीख 05.08.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(मोहन सिंह)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)मावली

Scanned by CamScanner